सत्यमेव जयते

राजस्थान राजपत्र विशेषांक	RAJASTHAN GAZETTE Extraordinary
साधिकार प्रकाशित	Published by Authority
भाद्र 29, सोमवार, शाके 1943-सितम्बर 20, 2021 *Bhadra 29, Monday, Saka 1943- September 20, 2021*	

भाग-1(ख)

महत्वपूर्ण सरकारी आज्ञायें।

कृषि (ग्रुप-2) विभाग

अधिसूचना

जयपुर, सितम्बर 02, 2021

संख्या एफ.4(44)/कृषि (ग्रुप-2)/2019 :-राजस्थान कृषि प्रसंस्करण, कृषि व्यवसाय एवं कृषि निर्यात प्रोत्साहन नीति - 2019 जिसे की आगे ''नीति'' कहा गया है, में सक्षम स्तर से अनुमोदन उपरान्त निम्न संशोधन किये जाते हैः-

मद संख्या 08 परिभाषा खण्ड में ''जिला स्तरीय छानबीन एवं स्वीकृति समिति'' के पश्चात् एवं ''कृषक'' से पूर्व नया प्रावधान ''परिवार'' की परिभाषा को निम्नानुसार सम्मिलित किया जाता है-

''परिवार से तात्पर्य स्वयं, पति या पत्नी एवं आश्रित अव्यस्क बच्चें होगा।''

मद संख्या 08 परिभाषा खण्ड में ''कृषक'' की परिभाषा के पश्चात् निम्न नया परन्तुक जोडा जाता हैः-

''परंतु निम्न श्रेणी के कृषक/व्यक्ति नीति के अन्तर्गत लाभ के पात्र नहीं होंगे-

अ) सभी प्रकार के भूमि धारक संस्थान, एवं

ब) ऐसे कृषक परिवार जिनके एक या एक से अधिक सदस्य निम्न श्रेणी में आते हों-

1. पूर्व व वर्तमान संवैधानिक पदधारक,
2. पूर्व व वर्तमान मंत्री /राज्यमंत्री एवं पूर्व/वर्तमान लोकसभा/राज्यसभा/ विधानसभा के सदस्य, पूर्व व वर्तमान नगर निगम के मेयर, पूर्व व वर्तमान जिला परिषद के अध्यक्ष,
3. केन्द्र/राज्य सरकार के मंत्रालयों / कार्यालयों / विभागों एवं इनसे सम्बन्धित केन्द्रीय या राज्य की सार्वजनिक संस्थाओं तथा सरकार के अधीन कार्यरत सम्बद्ध कार्यालय/स्वायत्त शासी संस्थान तथा स्थानीय निकायों के सभी नियमित सेवारत या सेवा निवृत कर्मचारी,
4. रू. 10000/- प्रतिमाह से अधिक पेन्शन प्राप्त करने वाले सभी अधिवार्षिकी प्राप्त/ सेवानिवृत पेंशनधारी,
5. गत तीन वर्षों में से किसी भी वर्ष में आयकर चुकाने वाले व्यक्ति,
6. डॉक्टर्स, इंजिनियर्स, वकील, चार्टेड अकाउन्टेंट एवं वास्तुकार जैसे पेशेवर जो कि पेशेवर संस्था में पंजीकृत हो तथा पेशेवराना कार्य कर रहे हों''।

मद संख्या 08 परिभाषा खण्ड में ''कृषक उत्पादक संगठन/कंपनी'' की परिभाषा के स्थान पर निम्न नयी परिभाषा प्रतिस्थापित की जाती हैः-

''कृषक उत्पादक संगठन/कंपनी'' से तात्पर्य कृषक उत्पादक संगठनों की सहकारिता अधिनियम, 1955 के अंतर्गत पंजीकृत सहकारी समितियां एवं कंपनी अधिनियम 1956 (इसमें कोई संशोधन या पुनः अधिनियमित करना सम्मिलित हैं) के भाग ix A में परिभाषित कृषक सदस्यों की ऐसी कंपनी जिसे

कंपनी पंजीयक (रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी (ROC)) के द्वारा निगमित किया गया हो, से है। कृषक उत्पादक संगठन/ कृषक उत्पादक कम्पनी (FPO/FPC) में इस नीति के तहत लाभ लेने के लिए 50 या अधिक कृषक सदस्य होने चाहिए''

मद संख्या 13.1.7 के पुराने प्रावधान के स्थान पर निम्न नया प्रावधान प्रतिस्थापित किया जाता हैः-

"अनुदान 3 साल के लॉक-इन-पीरियड्स के साथ क्रेडिट लिंक्ड बैक एन्डेड होंगें और भारतीय रिजर्व बैंक से मान्यता प्राप्त वित्तीय संस्थाओं, अनुसूचित बैंकों, राजस्थान वित्त निगम, राजस्थान राज्य सहकारी भूमि विकास बैंक लि. तथा राज्य सरकार द्वारा अनुमत अन्य वित्तीय संस्था द्वारा वित्तीय सहायता प्राप्त करने वाली इकाईयों को ही दिया जायेगा''

मद संख्या 13.1.3 के शीर्षक "राज्य सरकार द्वारा घोषित मेगाफूड पार्क / कृषि समूहों की ईकाईयों तथा रीफर वाहन'' को निम्न प्रकार संशोधित कर प्रतिस्थापित किया जाता है-

"राज्य में स्वतंत्र रूप से कहीं भी स्थित सभी प्रकार की इकाईयों हेतु भारत सरकार की किसी भी योजना में अनुदान प्राप्त पात्र ईकाईयां ''

तथा इस मद के अंत में निम्न प्रविष्ठि जोडी जाती हैः-

"केंद्र सरकार की समस्त योजनाओ में लाभांवित ऐसी परियोजनाएं जिनमे योजना के प्रारम्भ के बाद ऋण स्वीकृत किया गया हो एवं अभी तक व्यवसायिक उत्पादन प्रारम्भ नही हुआ हो, अनुदान हेतु पात्र होगी''।

नीति में निम्नलिखित नए प्रावधान सम्मिलित किए जाते हैं-

मद संख्या 13.3 के बिन्दु संख्या 13.3.1.2 के पश्चात् बिन्दु संख्या 13.3.1.3. निम्नानुसार जोड़ा जाता है-

"13.3.1.3 सतही मार्ग द्वारा निर्यात

भू-मार्ग से जुड़े सीमावर्ती देशों में निर्यात किये जाने पर सभी प्रकार के भाड़ा अनुदान श्रेणियों में राज्य के क्रय क्षेत्र/मंडी से देश के समुद्री बन्दरगाह तक सतही परिवहन की दर से ही आयातक देश की सीमा तक के भाड़े पर परिवहन अनुदान देय होगा।''

मद संख्या 13.3.3.1.1 में क्रय/मंडी क्षेत्र से समुद्री बन्दरगाह के पश्चात् एवं सतही परिवहन के पूर्व "/या आयातक देश की सीमा'' जोड़ा जाता है।

मद संख्या 13.3.3.2.1 में क्रय/मंडी क्षेत्र से समुद्री बन्दरगाह के पश्चात् एवं सतही परिवहन के पूर्व "/या आयातक देश की सीमा'' जोड़ा जाता है।

मद संख्या 13.3.4.1.1 में क्रय/मंडी क्षेत्र से समुद्री बन्दरगाह के पश्चात् एवं सतही परिवहन के पूर्व "/या आयातक देश की सीमा'' जोड़ा जाता है।

मद संख्या 13.3.4.2.1 में क्रय/मंडी क्षेत्र से समुद्री बन्दरगाह के पश्चात् एवं सतही परिवहन के पूर्व "/या आयातक देश की सीमा'' जोड़ा जाता है।

भूमि सम्बंधी प्रावधान/छूट की मद संख्या-14.2.1.2 के पश्चात् निम्न अतिरिक्त मदें जोडी जाती है-

14.2.1.3 ग्रामीण क्षेत्र में खातेदार द्वारा स्वंय की कृषि भूमि पर खाद्य प्रसंस्करण इकाई लगाये जाने पर 10 हैक्टेयर भूमि के सम्परिवर्तन की आवश्यकता नही होगी एवं खातेदार द्वारा कृषि भूमि को इस प्रयोजन हेतु उपयोग मे लिये जाने के 30 दिवस की अवधि में सम्बंधित तहसीलदार को "H" फार्म में सूचित करना होगा एवं तहसीलदार को सूचना प्राप्ति के 30 दिवस की अवधि में फार्म

"I" में इस आशय का प्रमाण पत्र जारी करेगें (राजस्व (ग्रुप-6) विभाग की अधिसूचना/क्रमांक एफ. 6 (26) - राजस्व 6/14/70 दिनांक 09.09.2020) ऐसी भूमि को बैंक ऋण हेतु पंजीकृत रहन रखे जाने पर मुद्रांक एवं पंजीयन शुल्क में 100 प्रतिशत रियायत उपलब्ध होगी।

(वित्त विभाग (टैक्स डिविजन) की अधिसूचनाऐं क्रमांक एफ.2.(97) एफडी/टैक्स/2010-220) दिनांक 26.08.2020) एवं क्रमांक एफ.2.(97) एफडी/टैक्स/2010-221) दिनांक 26.08.2020)

14.2.1.4 शहरो में प्रभावी व ड्राफ्ट मास्टर प्लान में प्लांटेशन बैल्ट, ईकोलोजिकल जोन व ईकोसेन्सेटिव जोन, रिक्रिएशन जोन (पार्क, प्ले ग्राउण्ड आदि) तथा उदयपुर मास्टर प्लान में दर्शाये गये जी-2 जोन को छोडकर अन्य सभी भू-उपयोग में उपरोक्त वर्णित योजनाओं यथा कृषि प्रंसस्करण, कृषि विपणन एवं कृषि निर्यात हेतु स्थापित होने वाले उद्योग अनुज्ञेय होगे। राजस्थान नगरीय क्षेत्र (कृषि भूमि का गैर-कृषिक प्रयोजन के लिये उपयोग की अनुज्ञा और आवंटन) नियम, 2012 के नियम-37 के तहत छूट प्रदान करते हुये उद्योगो हेतु राजस्थान भू- राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 90-ए के आवेदन के साथ भूमि अवाप्ति में न होने, कोर्ट में वाद लम्बित न होने, भूमि टाईटल निर्विवादित होने, भूमि प्रतिबंधित श्रेणी में नही होने बाबत शपथ पत्र लिया जाकर, शपथ के आधार पर 90-ए का आदेश जारी किया जावेंगा एवं नियम 9 के उपनियम (1) के अधीन देय प्रीमियम से शत प्रतिशत छूट प्रदान की गई है। राजस्थान नगरीय क्षेत्र (कृषि भूमि का गैर-कृषिक प्रयोजन के लिये उपयोग की अनुज्ञा और आवंटन) नियम, 2012 के नियम-37 के अन्तर्गत राजस्थान कृषि प्रंसस्करण, कृषि विपणन एवं कृषि निर्यात हेतु प्रस्तावित योजनाओं के अन्तर्गत स्थापित औधौगिक ईकाईयो पर लीज रेंट आवासीय कीमत का 2.5 प्रतिशत निर्धारित किये जाने एवं कृषि जिन्सों हेतु बनाये जाने वाले वेयर हाउसिंग एव गोदाम तथा कोल्ड स्टोरेज लीज रेंट में 100 प्रतिशत एवं एकीकृत भवन विनियम, 2017 के विनियम 7.1 के अन्तर्गत भवन मानचित्र शुल्क में शत प्रतिशत छूट प्रदान की गई है। (नगरीय विकास विभाग की अधिसूचना क्रमांक प.17 (19) नविवि/नियम/2019 दिनांक 14 सितम्बर, 2020)

मद संख्या 22 परिशिष्ठ - iv के जिला स्तरीय छानबीन एवं स्वीकृति समिति के गठन में क्रम संख्या 12 पर सदस्य के रूप में "सहायक महाप्रबंधक/जिला विकास प्रबंधक नाबार्ड" जोड़ा जाता है।

मद संख्या 22 परिशिष्ठ - iv के राज्य स्तरीय स्वीकृति एवं निगरानी समिति के गठन में क्रम संख्या 6 से 13 तक सदस्यों के नाम के आगे "या उनके प्रतिनिधि" जोड़ा जाता है।

उक्त अधिसूचना राज्य स्तरीय निगरानी एवं स्वीकृति समिति द्वारा लिये गये निर्णय की संबंधित बैठक दिनांक 10.12.2020 से प्रभावी होगी।

राज्यपाल की आज्ञा से,

बृज गुप्ता,
शासन उप सचिव।

राज्य केन्द्रीय मुद्रणालय,जयपुर।